

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2013

संख्या 231 / XXV-12 / 2008(P-2)

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सैक्टर 1, सी- 30, डिफेंस कालोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3499/उ.सू.आ./2012-13 दिनांक 20 मार्च, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त पत्र के माध्यम से वांछित सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर संलग्न प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Atc

लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

वर्ष:-- 2012-13

क्र० सं०	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु०)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्राधकारियों को लागू किया गया													
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		धारा 8 (1)													
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(ज)	(झ)	(ञ)	धारा 9	धारा 11	धारा 24		
1.	लो०सू०अ० / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून	173	173	0	7	7	0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

महत्वपूर्ण / आवश्यक



सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी-30 डिफेंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2666778, 2666779

ईमेल : uicddn@gmail.com

संख्या 3499 / उ.सू.आ. / 2012-13

दिनांक : 20/03/2013

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों की सूचना विषयक.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है. वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर सूचना का अधिकार के प्रयोग के संबंध में विश्लेषित जानकारी हेतु एक अध्याय दिया जाना प्रस्तावित है.

2. कृपया पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना को पूर्ण कर आयोग को **विलम्बतम 15/04/13 तक** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे प्राप्त सूचनाओं / आंकड़ों को भी आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सके. कृपया अपने तथा अपने अधीनस्थ समस्त स्तरों की संकलित सूचना को ही आयोग को प्रेषित करें. अधीनस्थ स्तरों के द्वारा आयोग को पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जानी है.

3. जिन लोक प्राधिकारियों के स्तर से उपरोक्त सूचनायें समय से प्राप्त नहीं होंगी उनके संबंध में आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन पर तदनुसार **"सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी" / "सहयोग प्रदान नहीं किया गया"** अंकित कर प्रतिवेदन को अंतिम कर लिया जायेगा.

संलग्नक : उपरोक्तानुसार.

(एन. एस. नमलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

